

Northern Railway

Central Hospital
New Delhi

No. 752E/CMP/Corp/Gaz/CH/19

Dated: 22/11/2019

Sub: Walk-in-interview for engagement of 01 General Duty Doctors & 03 Specialist Doctors (total=04) as full time Contract Medical Practitioners (CMPs) on contract basis for a duration of one year as shown below and to prepare await-list for vacancies arise in future :

S.No.	Specialty	Vacancy	Place of posting
1.	General Duty Medical Officer	One (01)	Causality/NRCH
2.	Radiology	One (01)	NRCH, New Delhi
3.	Oncology	One (01)	NRCH, New Delhi
4.	Neuro Surgery	One (01)	NRCH, New Delhi
Total		Four (04)	

Note:- Depending on administrative exigencies, Railway Administration have reserved the right to modify number of vacancies and place of posting.

Contract is extendable up to total number of :-

- 12 terms on the year to year basis with each term of engagement not being more than 01 year each for doctors engaged from open market and
- 05 terms on year to year basis with each term of engagement not being more than one year each for Retired Railway Doctors & Central/ State Govt. Retired Doctors engaged up to the maximum age limit of 65 years.

Reservation will be as under:

SC = Nil	ST = Nil	OBC =01	General = 03	Total = 04
----------	----------	---------	--------------	------------

The reservation will be as per rules in vogue. The actual reservation of vacancies would depend upon the prevailing strength at the time of engagement.

Date, Time & Vanue of walk-in-interview & Medical Examination :-

The interested candidates can appear in walk-in-interview followed by Medical Examination at the following venue:-

Date	Time	Venue
20.12.2019 & 21.12.2019	11. 00 Hrs.	Northern Railway Central Hospital, Basant Lane, new Delhi

Medical Examination of the candidate will be held after Walk-in-interview.

Note:-

1. Candidate should submit their application in duplicate on prescribed Proforma enclosed herewith latest by 10.00 AM at above mentioned venue on the day of walk-in-interview.
2. In case, it is not possible to interview all candidates on nominated day, they will be interviewed/ medically examined on next working day/days. Thus, the candidates should make their own arrangement for stay for next day and come prepared accordingly.

Remuneration:-

Consolidated remuneration at the rate of Rs. 75,000/- for General Duty Doctor and Rs. 95,000/- for Specialist Doctors per month will be admissible, if Govt. accommodation is not provided. If Govt. accommodation is provided, an amount equivalent to House Rent Allowance payable to a fresh entrant to Group 'A' Jr. Scale and License fee of Railway accommodation so provided shall be deducted from the monthly remuneration payable to the CMP.

Remuneration for Retired Railway Doctors and Central/ State Govt. retired Doctors:-

Consolidated remuneration will be an amount admissible subject to the condition that remuneration plus pension drawn should not exceed the last pay drawn, if Govt. accommodation is not provided. If Govt. accommodation is provided, an amount equivalent to House Rent Allowance payable to a fresh entrant to Group 'A' Jr. Scale and License fee of Railway accommodation so provided shall be deducted from the monthly remuneration payable to the CMP.

Age Limit:-

Candidate should not have completed more than 53 years of age as on 01.12.2019. However, age relaxation of 05 years for SC/ST and 03 years for OBC candidates is admissible.

Age limit for Retired Railway Doctors and Central/ State Govt. retired Doctors:-

Candidate should not have completed more than 63 years & 06 months of age as on 01.12.2019.

Terms and Conditions:-

Engagement of Doctors would be on contract basis initially for a period of one year on annual basis upto a maximum of 12 terms as per administrative requirement on the basis of assessment of performance of CMPs. However, services of these doctors can be terminated even before the expiry of one year after giving 15 days notice on either side. Railway Administration reserves the right to terminate the contract at any time during the contract by giving 15 days notice or payment of 15 days remuneration without assigning any reason whatsoever. The services rendered as contract doctor is a stop gap arrangement and will not be taken into consideration in case of their selection through UPSC. It will also not confer upon them any right for regularization of permanent absorption in the Railways. The engagement shall purely be on contract basis for a period of one year or till the regular incumbent joins, whichever is earlier.

Terms and Conditions for Retired Railway Doctors and Central/ State Govt. retired Doctors:-

Engagement of Retired Railway Doctors and Central/ State Govt. retired Doctors as CMPs would be purely on contract basis initially for a period of one year on annual basis upto a maximum of 05 (five) terms as per administrative requirement. The engagements of CMPs shall be for a period of one year or less from the date of entering into contract or till a regular incumbent joins or on attaining the age of 65 years by the Retired Railway Doctors and Central/ State Govt. retired Doctors, whichever is earlier. The Retired Railway Doctors and Central/ State Govt. retired Doctors engaged as CMPs shall not have any claim or right for his/her continuity in service or automatic extension of the term of contract.

During the validity of contract, The CMP shall be at liberty to terminate the contract for betterment of his/her carrier or on any ground by giving 15 days notice to the Railways. Railway Administration reserves the right to terminate the contract at any time during the contract by giving 15 days notice or payment of 15 days remuneration without assigning any reason whatsoever.

Essential Educational Qualification

- (i) **For General Duty Doctors:** MBBS degree (with completion of internship) from any University/Institution recognized by Indian medical Council.
- (ii) **For Specialist Doctors:** MBBS degree and Post Graduate Medical Degree/Diploma in subject concerned from any University/Institution recognized by Indian Medical Council.

Experience

For Specialist Medical Practitioners, three year experience is essential. For General Duty Doctors, the candidate with experience will be given preference.

Contract is liable to be terminated, if the Contract Medical Practitioner is found to be mentally or physically incapacitated.

Note:-

- (i) Candidate should bring their application from along with original and attested copies of all certificates & mark-sheets. No TA/DA is admissible.
- (ii) The offer of engagement to selected candidates shall be issued subject to availability of vacancy as per requirement in Northern Railway Central Hospital/ its Health Units located at New Delhi on “ as is where is basis”. Administration reserves the right to change the posting as per administrative needs. The CMP specialist Doctors so selected shall also have to carry out general duties as and when required by Railway Administration in addition to their specialty work.
- (iii) If posts of specialists not filled up the vacancies may be filled up by General Duty Medical Practitioners temporarily.
- (iv) The posting of notified vacancies may be changed as per requirement of the administration.
- (v)The notification can be downloaded from Northern Railway’s websites www.nr.indianrailways.gov.in and www.nr.railnet.gov.in/dept/personnel/pnew.html
- (vi)After approval of the panel by competent authority, the panel will be uploaded at NR’s websites www.nr.indianrailways.gov.in and www.nr.railnet.gov.in/dept/personnel/pnew.html. Suitable candidates will be intimated through speed-post, Telephone calls and /SMS to report at Northern Railway’s Central Hospital New Delhi for posting. The candidates who do not report at the assigned date and time will forfeit their chance of contract engagement and vacancies may be filled up from the next empanelled candidate.

Enclosed : As above.

उत्तर रेलवे

केन्द्रीय चिकित्सालय,
नई दिल्ली।

विषय: उत्तर रेलवे पर अनुबन्ध के आधार पर 2 सामान्य ड्यूटी चिकित्सकों और 9 स्पेशलिस्ट चिकित्सकों (कुल 11) को पूर्णकालीन संविदात्मक मेडिकल प्रैक्टिशनर (सीएमपी) के रूप में अनुबन्ध पर नियुक्ति के लिये साक्षात्कार (वाक-इन-इन्टरव्यू)

उत्तर रेलवे द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिये अनुबन्ध के आधार पर 2 सामान्य ड्यूटी चिकित्सकों और 9 स्पेशलिस्ट चिकित्सकों (कुल 11) को पूर्णकालीन संविदात्मक मेडिकल प्रैक्टिशनर (सीएमपी) के रूप में अनुबन्ध पर नियुक्ति के लिये साक्षात्कार किया जाना है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है तथा भविष्य में होने वाली रिक्तियों के लिये प्रतीक्षा सूची भी बनानी है:-

क्र.सं.	विशेषता	रिक्तियां	तैनाती का स्थान
1.	सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी	01 (एक)	आपातकालीन/केन्द्रीय चिकित्सालय, नई दिल्ली
2.	रेडियोलोजी	01 (एक)	केन्द्रीय चिकित्सालय, नई दिल्ली
3.	कैंसर चिकित्सा	01 (एक)	केन्द्रीय चिकित्सालय, नई दिल्ली
4.	नुरोलोजि	01 (एक)	केन्द्रीय चिकित्सालय, नई दिल्ली
कुल		04 (चार)	

नोट: तत्कालीन प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर रेल प्रशासन को उपरोक्त पदों की संख्या व स्टेपन की तैनाती में बदलाव करने का अधिकार है।

संविदा अवधि, खुले बाजार से आने वाले चिकित्सकों के लिये दो साल कुल 12 सत्रों (टर्म) के लिये और सेवानिवृत्त रेलवे चिकित्सकों तथा केन्द्र/राज्य सरकार के सेवानिवृत्त चिकित्सकों के लिये कुल 05 सत्रों (टर्म) के लिये (अथवा उनके 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो) बढ़ाई जा सकती है।

आरक्षण निम्न प्रकार होगा:

अ.जा.-छपस	अ.ज.जा.छपस	अ.पि.व.-01	सामान्य-03	कुल-04
-----------	------------	------------	------------	--------

आरक्षण प्रचलित नियमानुसार लागू होगा। रिक्तियों हेतु वास्तविक आरक्षण तैनाती के समय उपलब्ध कार्यरत संविदा चिकित्सकों तथा वांछित संविदा चिकित्सकों की कुल संख्या पर निर्भर करेगा।

वाक-इन-इन्टरव्यू एवं चिकित्सा परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान : इच्छुक उम्मीदवार निम्न स्थान पर साक्षात्कार व बाद में होने वाली चिकित्सा परीक्षा के लिये उपस्थित हो सकते हैं :

दिनांक	समय	स्थान
02.11.2019	11.00 बजे	उ.रे. केन्द्रीय चिकित्सालय, बसन्त लेन, नई दिल्ली।

उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा साक्षात्कार के बाद आयोजित की जायेगी।

नोट-

- उम्मीदवार अपना आवेदन दो प्रतियों में 10.00 बजे तक संलग्न निर्धारित प्रारूप पर उक्त स्थान पर साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत करेंगे।
- यदि उम्मीदवारों की संख्या अधिक है और उन्हें नामित दिवस पर साक्षात्कार संभव नहीं है तो उन्हें अगले दिन साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। अतः उम्मीदवार अगले दिन की अवधि के लिए अपने रहन-सहन की व्यवस्था स्वयं करेंगे और तदानुसार पूर्व तैयारी करके आयेगें।

मानदेय:

यदि सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता तो जनरल ड्यूटी डॉक्टरों के लिए समेकित मानदेय रूपये 75,000/- और विशेषज्ञों के लिए रूपये 95,000/- प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। यदि सरकारी आवास मुहैया कराया गया है तो ग्रुप-ए जुनियर स्केल के फ्रेष एन्ट्रेन्ट के लिए मकान किराया भत्ता और ऐसे रेलवे आवास की लाईसेंस शुल्क के समान राशि की कटौती कॉन्ट्रैक्ट मैडिकल प्रैक्टिशनर को देय मासिक मानदेय से की जायेगी।

सेवानिवृत्त रेलवे चिकित्सकों और केन्द्र/राज्य सरकार के सेवानिवृत्त चिकित्सकों के लिए मानदेय :-

समेकित मानदेय प्रतिमाह इस शर्त के अंतर्गत कि आहरित मानदेय पेंशन का योग अंतिम आहरित वेतन से अधिक न हो, निर्धारित किया गया है, बशर्ते सरकारी आवास उपलब्ध न कराया गया हो। यदि सरकारी आवास मुहैया कराया गया है तो ग्रुप ए जुनियर स्केल के फ्रेष एन्ट्रेन्ट के लिए देय मकान किराया भत्ता और ऐसे रेलवे आवास की लाईसेंस शुल्क के समान राशि की कटौती कॉन्ट्रैक्ट मैडिकल प्रैक्टिशनर को देय मासिक मानदेय से की जायेगी।

आयु सीमा:

उम्मीदवार की आयु 01.10.2019 तक 53 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथापि अ.जा./अनु.ज.जा. के उम्मीदवारों के लिए 05 वर्ष और अ.पि.वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 03 वर्ष की छुट अनुमत्य है।

सेवानिवृत्त रेलवे चिकित्सकों और केन्द्र/राज्य सरकार के सेवानिवृत्त चिकित्सकों के लिए आयु सीमा :-

उम्मीदवार की आयु 01.10.2019 तक 63 वर्ष, 06 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नियम व शर्तें:

डॉक्टरों की नियुक्ति प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए संविदात्मक आधार पर की जायेगी जिसे कॉन्ट्रैक्ट मैडिकल प्रैक्टिशनर के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर प्रशासनिक आवश्यकतानुसार अधिकतम 12 टर्म्स (जमतउं) तक प्रतिवर्ष एवटेंशन दिया जा सकता है। तथापि इन डॉक्टरों की सेवाओं को 01 वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी साईड से 15 दिन का नोटिस के बाद समाप्त की जा सकती है। रेलवे प्रशासन बिना कोई कारण बताये इन डॉक्टरों की संविदा को 15 दिन के नोटिस या इसके बदले में 15 दिन के मानदेय के बराबर की राशि का भुगतान करके तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार रखता है। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टरों द्वारा दी गयी सेवायें एक स्टॉप गैप व्यवस्था है और यूपीएससी के माध्यम से बाद में नियमित चयन हो जाने के मामले में उक्त अवधि पर विचार नहीं किया जायेगा। इस संबंध में यह रेलवे में नियमित होने अथवा स्थायी रूप से समाहित होने के लिए इनके अधिकारी की भी कोई पुष्टि नहीं करता। यह तैनाती पूर्णरूप से संविदा आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए रहेगी या नियमित चिकित्सक के ज्वाइन करने पर, जो भी पहले हो, समाप्त कर दी जायेगी।

सेवानिवृत्त रेलवे चिकित्सकों और केन्द्र/राज्य सरकार के सेवानिवृत्त चिकित्सकों के लिए नियम व शर्तें :-

सेवानिवृत्त रेलवे चिकित्सकों और केन्द्र/राज्य सरकार के सेवानिवृत्त चिकित्सकों की सीपीएम के तौर पर नियमित हर वर्ष एक वर्ष की टर्म के लिए और अधिकतम 05 टर्म के लिए प्रशासनिक आवश्यकतानुसार की जायेगी। यह अनुबंध पूर्णतया निविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए या नियमित डॉक्टर के ज्वाइन करने या सेवानिवृत्त रेलवे चिकित्सकों व केन्द्र/राज्य सरकार के सेवा निवृत्त चिकित्सकों की 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, जो भी पहले, होगा। कॉन्ट्रैक्ट मैडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में अनुबंधित किये गये सेवानिवृत्त डॉक्टरों के पास अपनी सेवाओं को निरंतर करने अथवा टर्म को स्वतः आगे बढ़ाने संबंधी कोई दावा इत्यादि करने का किसी भी तरह का अधिकारी नहीं होगा। संविदा की वैधता की अवधि में संविदा के आधार पर तैनात डॉक्टरों को किसी भी समय यह छूट होगी कि वह अपने कैरियर अवधि में संविदा के आधार पर तैनात डॉक्टरों को किसी भी समय यह छूट होगी कि वह अपने कैरियर की बेहतरी के लिए अथवा अन्य किसी आधार पर रेलवे प्रशासन को 15 दिन की अग्रिम सूचना देकर संविदा खत्म करने का अधिकार रखता है। रेलवे प्रशासन भी संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय 5 दिन की पूर्व सूचना देकर या 15 दिन का मानदेय प्रदान करके डॉक्टरों को बिना किसी कारण को परिभाषित किये संविदा की समाप्ति कर सकता है।

वांछनीय शैक्षिक योग्यता:

सामान्य ड्यूटी डॉक्टरों के लिए: भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विष्वविद्यालय/ संस्था से एमबीबीएस डिग्री (इंटरनशिप के समापन के साथ)

विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए: भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विष्वविद्यालय/संस्था से एमबीबीएस तथा संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा।

अनुभव:

विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए तीन वर्ष का अनुभव वांछनीय है। सामान्य ड्यूटी चिकित्सकों के लिए संबंधित कार्य के अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।

यदि कोई सीपीएम मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षत पाया जायेगा तो उसका अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

टिप्पणी:

- (i) उम्मीदवार अपने आवेदन फार्म के साथ अपने सभी प्रमाणपत्रों तथा अंकतालिका की मूल तथा सत्यापित प्रतियाँ अपने साथ लायें। इस साक्षात्कार के लिए कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं है।
- (ii) चुने गए उम्मीदवारों को विभिन्न स्टेशनों पर स्थित अस्पतालों/ हेल्थ यूनिटों में आवष्यकतानुसार, बर्षों कि वहां रिक्ति की उपलब्धता हो, तैनाती का प्रस्ताव भेजा जायेगा। प्रषासन को प्रषासनिक आवष्यकतानुसार पोस्टिंग के स्थान में परिवर्तन करने का हक है। रेल प्रषासन द्वारा सीएमपी विशेषज्ञ डॉक्टरों को अपने विशेष कार्य के अतिरिक्त जहां कहीं भी आवष्यकता हो सामान्य ड्यूटी के लिए भेजा जायेगा।
- (iii) यदि विशेषज्ञ पद की रिक्तियां नहीं भरी जाती तो रिक्त पद जनरल ड्यूटी मैडिकल प्रैक्टिशनर्स अस्थायी तौर पर भरे जा सकते हैं।
- (iv) अधिसूचित रिक्तियों के स्थानों में प्रषासन की आवष्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- (v) इस अधिसूचना को उत्तर रेलवे की वेबसाइट www.nr.indianrailways.gov.in तथा www.nr.railnet.gov.in/dept/personnel/pnew.html से डाउनलोड किया जा सकता है।
- (vi) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पैनल के अनुमोदन के पश्चात् उत्तर रेलवे की वेबसाइट www.nr.indianrailways.gov.in तथा www.nr.railnet.gov.in/dept/personnel/pnew.html पर अपलोड किया जायेगा। उपयुक्त उम्मीदवारों को स्पीड पोस्ट, टेलीफोन तथा एसएमएस द्वारा पोस्टिंग के लिए उत्तर रेलवे प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में उपस्थित होने के लिए सूचित किया जायेगा। उम्मीदवार के निर्धारित तिथि तथा समय पर रिपोर्ट न करने पर वह अनुबंध पर तैनाती करने के मौके से वंचित हो जाएगा और यह मौका पैनल के अगले उम्मीदवार को दे दिया जायेगा।

संलग्न: यथोक्त।